भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2953
दिनांक 12 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए सहायता केंद्र

2953. श्री बृजेन्द्र सिंह:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्य राज्यों से शादी के लिए दुल्हन खरीदने की प्रथा पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसी महिलाओं की मदद के लिए इस संबंध में कोई सहयोग केंद्र स्थापित किया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 जो व्यक्तियों के दुर्व्यापार से संबंधित है, के अनुसार जो भी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध खरीदता, बेचता या निस्तारित करता है या स्वीकार करता है, प्राप्त करता है या निरुद्ध करता है, उसे कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) ''भारत में अपराध'' नामक अपने प्रकाशन में मानव दुर्व्यापार सहित अपराधों पर सूचना संकलित एवं प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2019 तक उपलब्ध है। डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट www.ncrb.gov.in पर उपलब्ध है।

भारत सरकार दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं तथा विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत ढंग से एक छत के नीचे अनेक सेवाएं जैसे कि पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता तथा अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए वन स्टाप सेंटर (ओएससी) योजना चला रही है। अब तक की स्थिति के अनुसार देश के 730 जिलों के लिए अनुमोदित 733 ओएससी में से 700 ओएससी कार्यशील हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अनेक सेवाओं के माध्यम से दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए स्वाधार गृह तथा उज्ज्वला नामक योजनाएं चला रहा है। सरकार 24 घंटे टोल फ्री टेलिकॉम सेवा के माध्यम से महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन रेफरल एवं सूचना सेवा प्रदान करने के लिए 181 - महिला हेल्पलाइन नामक योजना भी चला रही है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन कार्यशील है।

***